

भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के
भाग II खंड 3 (iii) में दिनांक
1 नवम्बर, 2017 को प्रकाशनार्थ

मणिपुर राज्य के राजपत्र के
असाधारण अंक में दिनांक
1 नवम्बर, 2017 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.282/मणिपुर/2017(परि.)

दिनांक: 1 नवम्बर, 2017

10 कार्तिक, 1939 (शक)

शुद्धिपत्र

परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 (1)(क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 की अनुसूची XVIII (मणिपुर राज्य के संबंध में) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:-

‘सारणी-क-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार,’ में 1-मणिपुर केन्द्रीय जिले के “35-खंगाबो” विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम को “35-खंगाबोक” विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में पढ़ने के लिए संशोधन किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एन.भार)
प्रधान सचिव